

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*88

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण**

**\*88. श्री अरुण भारती :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय न्यायपालिका की दक्षता और सुलभता बढ़ाने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को अनुमोदित कर दिया है, यदि हां, तो इस चरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या इस परियोजना का उद्देश्य न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और पेपरलेस न्यायालयों की स्थापना करना है, यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस पहल के अंतर्गत न्यायालयों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है, यदि हां, तो देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ऐसी कुल कितनी सुविधाएं स्थापित की गई हैं ;

(घ) क्या ई-न्यायालय सेवाओं के संबंध में नागरिकों की सहायता करने के लिए न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ऐसे कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां इस परियोजना का हिस्सा हैं और यदि हां, तो न्यायपालिका में मामलों के प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में किस प्रकार सुधार होने की आशा है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ङ) :** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

‘ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण’ के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या \*88 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) : जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायिक उत्पादकता में अभिवृद्धि के लिए न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार हेतु 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 (2023-2027) को 13.09.2023 को मंजूरी दे दी है।

(ख) : ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का एक घटक मामला, अभिलेख की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण है, जिसके लिए 2038.40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक उच्च न्यायालयों में 213.29 करोड़ पृष्ठों और जिला न्यायालयों में 307.89 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जैसा कि **उपाबंध-1** पर दिया गया है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के न्यायिक अभिलेखों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों को कागज रहित तरीके से काम करने में सहायता के लिए डिजिटल न्यायालय 2.1 सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

(ग) : जेलों, न्यायालयों और जिला अस्पतालों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपलब्ध बुनियादी ढांचे की अभिवृद्धि और उन्नति के लिए 228.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, न्यायालयों और जेलों को प्रदान की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विवरण **उपाबंध-2** पर दिया गया है।

(घ) : ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए 394.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 24 उच्च न्यायालयों और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन जिला न्यायालयों में 1814 ई-सेवा केन्द्र प्रचालन में हैं, जैसा कि **उपाबंध-3** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय में 5 ई-सेवा केन्द्र कार्यरत हैं।

(ड) : जी हां, महोदय, भविष्य की तकनीकी प्रगति जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन आदि के कार्यान्वयन के लिए 53.57 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संवैधानिक न्यायपीठ के मामलों में मामला प्रबंधन और मौखिक बहस के प्रतिलेखन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। अंग्रेजी निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय में भारत से उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई/एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग

किया जाता है। त्रुटियों को ठीक करने, डेटा, मेटा डेटा निष्कर्षण के लिए आईआईटी मद्रास के सहयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जा रहा है और इसे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है।

\*\*\*\*\*

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या \*88 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

डिजिटलीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

| #  | उच्च न्यायालय का नाम | चालू माह में उच्च न्यायालय में डिजिटलीकृत पृष्ठों की संख्या | उच्च न्यायालय में वर्तमान माह तक डिजिटलीकृत पृष्ठों की कुल संख्या | संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय (तालुका न्यायालयों सहित) |   |
|----|----------------------|---|---|--|---|
|    |                      |   |   | चालू माह में जिला न्यायालयों में डिजिटलीकृत पृष्ठों की संख्या        | जिला न्यायालयों में वर्तमान माह तक डिजिटलीकृत पृष्ठों की कुल संख्या |
| 1  | इलाहाबाद             | 29,57,532   | 55,00,37,986  | 6,99,98,747  | 1,26,30,50,913  |
| 2  | आंध्र प्रदेश         | 17,50,450   | 2,02,81,917   | 30,62,018  | 6,45,96,742   |
| 3  | बंबई                 | 48,08,004   | 5,84,86,329   | 58,758   | 18,14,777   |
| 4  | कलकत्ता              | 10,41,766   | 5,27,75,761   | -  | -   |
| 5  | छत्तीसगढ़            | 2,70,681  | 13,49,920   | 6,94,957   | 24,04,904   |
| 6  | दिल्ली               | 5,82,532  | 23,15,93,708  | 4,02,446   | 9,11,13,986   |
| 7  | गुवाहाटी             | 94,917  | 3,12,51,154   | 1,23,696   | 15,74,91,856  |
| 8  | गुजरात               | 91,675  | 7,43,051  | 1,21,440   | 6,02,173  |
| 9  | हिमाचल प्रदेश        | -   | 71,42,331   | -  | -   |
| 10 | जम्मू-कश्मीर         | 1,10,278  | 3,98,69,492   | 21,46,472  | 1,24,96,788   |
| 11 | झारखंड               | 17,43,187   | 1,95,65,535   | 1,95,655   | 86,08,416   |
| 12 | कर्नाटक              | 33,08,850   | 3,63,81,003   | 7,01,094   | 3,87,17,734   |
| 13 | केरल                 | 19,29,589   | 6,69,47,293   | 6,98,440   | 1,08,70,987   |
| 14 | मध्य प्रदेश          | 16,49,364   | 23,12,22,106  | 1,30,00,000  | 58,76,95,995  |
| 15 | मद्रास               | 74,39,073   | 16,67,83,534  | 53,27,906  | 10,39,82,590  |
| 16 | मणिपुर               | 51,577  | 55,93,992   | 78,527   | 52,94,272   |
| 17 | मेघालय               | 18,844  | 9,98,123  | 9,221  | 35,63,523   |
| 18 | उड़ीसा               | 6,46,588  | 4,77,94,951   | 58,36,296  | 13,75,57,843  |
| 19 | पटना                 | 1,13,025  | 2,31,83,083   | 9,62,483   | 95,41,218   |
| 20 | पंजाब और हरियाणा     | 12,25,655   | 28,18,05,829  | 29,36,852  | 51,27,43,212  |
| 21 | राजस्थान             | 31,66,277   | 11,67,82,238  | 21,27,017  | 1,01,79,759   |
| 22 | सिक्किम              | 2,264   | 11,67,321   | 80,785   | 46,59,148   |
| 23 | तेलंगाना             | 12,68,241   | 11,41,58,358  | 41,43,556  | 4,70,29,641   |
| 24 | त्रिपुरा             | 92,538  | 73,84,185   | -  | 6,19,005  |
| 25 | उत्तराखंड            | 7,29,338  | 1,96,26,919   | 15,58,660  | 42,82,851   |
|    | <b>कुल</b>           | <b>3,50,92,245</b>  | <b>2,13,29,26,119</b>   | <b>11,42,65,026</b>  | <b>3,07,89,18,333</b>   |

‘ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण’ के संबंध में पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या \*88 जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

न्यायालयों और जेलों को प्रदान की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:

| ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई |                           |  |  |
|--|---------------------------|--|--|
| क्र.सं.  | उच्च न्यायालय             | न्यायालयों की संख्या (उच्च न्यायालय सहित)  | जेलों की संख्या  |
| 1  | इलाहाबाद                  | जिला न्यायालय: 2532 न्यायालय कक्ष और 147 न्यायालय परिसर<br>उच्च न्यायालय : 2 पीटीजेड कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं  | 70   |
| 2  | आंध्र प्रदेश              | जिला न्यायालय: 652 न्यायालय कक्ष<br>उच्च न्यायालय: चार (4) न्यायपीठ  | 13   |
| 3  | बंबई                      | जिला न्यायालय: 372 न्यायालय परिसरों और 964 न्यायालयों को पूर्ण हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली प्रदान की गई है। (चरण 1 और चरण 2)<br>ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, अतिरिक्त न्यायालय परिसरों को 102 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।<br>इसके अतिरिक्त, चरण-2 के अधीन कवर नहीं किए गए 381 न्यायालय कक्षों, जिनमें जिला और तालुका स्तर पर 129 जिला न्यायाधीश न्यायालय स्थापन सम्मिलित हैं, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली प्रदान की गई है।<br>उच्च न्यायालय: 60 न्यायालय कक्ष | 96   |
| 4  | छत्तीसगढ़                 | 532  | 33   |
| 5  | कलकत्ता                   | 884  | 61 सुधार गृह   |
| 6  | दिल्ली                    | जिला न्यायालय: 07 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग<br>हालांकि, आज की तारीख में, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से दिल्ली की सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यरत है।  | ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के अधीन दिल्ली की जिला जेलों को 35 वी.सी. इकाइयां प्रदान की गई हैं। |
| 7(क)   | गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश) | जिला न्यायालय: 31 न्यायालय<br>उच्च न्यायालय: 2 न्यायालय कक्ष   | जेलों/उप-जेलों की संख्या 8 (02 जिला जेल और 06 उप-जेल)  |
| 7(ख)   | गुवाहाटी (असम)            | 417  | 31   |
| 7(ग)   | गुवाहाटी (मिजोरम)         | 39 न्यायालय (उच्च न्यायालय सहित)   | 10   |
| 7(घ)   | गुवाहाटी (नागालैंड)       | 29   | 12   |
| 8  | गुजरात                    | जिला न्यायालय: 1076 न्यायालय<br>उच्च न्यायालय: 39 न्यायालय (आंशिक रूप से राज्य सरकार के कोष और ई-समिति कोष से)   | 27   |
| 9  | हिमाचल प्रदेश             | जिला न्यायालय: चरण-3 के अधीन जिला न्यायपालिका को 63 वी.सी. उपकरण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, राज्य के अस्पतालों को 22 ऑल-इन-वन (एआईओ) वी.सी. उपकरण प्रदान किए गए।  | शून्य  |

| ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई |                        |  |                 |
|--|------------------------|--|-----------------|
| क्र.सं.  | उच्च न्यायालय          | न्यायालयों की संख्या (उच्च न्यायालय सहित)  | जेलों की संख्या |
| 10   | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | जिला न्यायालय: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की 246 न्यायालयों में से 80 न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध है।<br>चरण-3 के अधीन 153 न्यायालयों को वी.सी. हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है।<br>उच्च न्यायालय: वी.सी. सुविधाओं से सुसज्जित।  | 14              |
| 11   | झारखंड                 | 278  | 28              |
| 12   | कर्नाटक                | 349  | 4               |
| 13   | केरल                   | जिला न्यायालय: केरल सरकार के कारागार विभाग ने जिला न्यायपालिका के 370 न्यायालयों में रिमांड विस्तार के लिए, 'न्यायालयों और जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' स्कीम के अधीन न्यायालयों और जेलों में समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयां स्थापित की हैं। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के कोष के साथ-साथ ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन आवंटित धन का भी उपयोग किया है।<br>इसके अतिरिक्त, चरण-2 के अधीन 27 जिला न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं।<br>इसके अलावा, चरण-3 के अधीन जिला न्यायपालिका में 106 न्यायालयों और 94 न्यायालय परिसरों को समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयां प्रदान की गई हैं। | शून्य           |
| 14   | मद्रास                 | 1297   | 119             |
| 15   | उड़ीसा                 | 803 न्यायालय   | 53              |
| 16   | पटना                   | 1293 (बिहार के जिला न्यायालय)  | 59              |
| 17   | पंजाब और हरियाणा       | 618  | 44              |
| 18   | राजस्थान               | जिला न्यायालय: 1376 न्यायालय<br>उच्च न्यायालय: 46 न्यायालय कक्ष<br>इसके अतिरिक्त, चरण-3 के अधीन 45 नव निर्मित न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।   | 105             |
| 19   | तेलंगाना               | 537  | 37              |
| 20   | मध्य प्रदेश            | 1858   | 405             |
| 21   | मणिपुर                 | 45 न्यायालय (उच्च न्यायालय में 4 सहित)   | 2               |
| 22   | मेघालय                 | न्यायालय परिसर-19<br>न्यायालय कक्ष-78  |                 |
| 23   | सिक्किम                | 35   |                 |
| 24   | त्रिपुरा               | 91   | 13              |
| 25   | उत्तराखंड              | 241  | 11              |

**‘ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का तीसरा चरण’ के संबंध में 25/07/2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

विवरण निम्नानुसार हैं:

| 30.06.2025 तक ई- सेवा केन्द्र के कार्यान्वयन की स्थिति |                                  |   |   |   |   |             |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|-------------|
| क्रमांक  | उच्च न्यायालय                    | क्या ई-सेवा केन्द्र उच्च न्यायालय में क्रियान्वित है? | उच्च न्यायालयों में क्रियान्वित ई- सेवा केन्द्र (क) | क्या जिला न्यायालयों में ई- सेवा केन्द्र क्रियान्वित किया गया है? | जिला न्यायालयों में क्रियान्वित ई- सेवा केन्द्र (ख) | कुल (क+ख)   |
| 1  | इलाहाबाद                         | हाँ   | 2   | हाँ   | 74  | 76          |
| 2  | आंध्र प्रदेश                     | नहीं  | 0   | नहीं  | 0   | 0           |
| 3  | बंबई                             | हाँ   | 3   | हाँ   | 40  | 43          |
| 4  | कलकत्ता                          | हाँ   | 1   | हाँ   | 14  | 15          |
| 5  | छत्तीसगढ़                        | हाँ   | 1   | हाँ   | 23  | 24          |
| 6  | दिल्ली                           | हाँ   | 1   | हाँ   | 13  | 14          |
| 7  | गुवाहाटी                         | हाँ   | 5   | हाँ   | 126   | 131         |
| 8  | गुजरात                           | हाँ   | 1   | हाँ   | 192   | 193         |
| 9  | हिमाचल प्रदेश                    | हाँ   | 1   | हाँ   | 22  | 23          |
| 10   | जम्मू-कश्मीर                     | हाँ   | 1   | हाँ   | 26  | 27          |
| 11   | झारखंड                           | हाँ   | 2   | हाँ   | 62  | 64          |
| 12   | कर्नाटक                          | हाँ   | 3   | हाँ   | 25  | 28          |
| 13   | केरल                             | हाँ   | 1   | हाँ   | 161   | 162         |
| 14   | मध्य प्रदेश                      | हाँ   | 1   | हाँ   | 185   | 186         |
| 15   | मद्रास                           | हाँ   | 7   | हाँ   | 310   | 317         |
| 16   | मणिपुर                           | हाँ   | 1   | हाँ   | 20  | 21          |
| 17   | मेघालय                           | हाँ   | 1   | हाँ   | 16  | 17          |
| 18   | उड़ीसा                           | हाँ   | 1   | हाँ   | 160   | 161         |
| 19   | पटना                             | हाँ   | 1   | हाँ   | 37  | 38          |
| 20   | पंजाब और हरियाणा                 | हाँ   | 1   | हाँ   | 113   | 114         |
| 21   | राजस्थान                         | हाँ   | 2   | हाँ   | 1   | 3           |
| 22   | सिक्किम                          | हाँ   | 1   | हाँ   | 10  | 11          |
| 23   | तेलंगाना                         | हाँ   | 1   | हाँ   | 98  | 99          |
| 24   | त्रिपुरा                         | हाँ   | 1   | हाँ   | 15  | 16          |
| 25   | उत्तराखंड                        | हां   | 1   | हां   | 30  | 31          |
|  | <b>कार्यान्वित</b>               | <b>24</b>   | <b>41</b>   | <b>24</b>   | <b>1773</b>   | <b>1814</b> |
|  | <b>कार्यान्वित नहीं किया गया</b> | <b>1</b>  |   | <b>1</b>  |   |             |

\*\*\*\*\*